

अज अदालत..... मुकाम.....

किसम मुकदमा अ. आवेदन नं. 44 सन् 2018
11, 128 RLR

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>6.2.18</p> <p>14/02/18</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>विशानाराम कोट</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/02/18</u> को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गिणों के नोटिस तामील खुदा जप्त जिसे तामील पत्रावली विभा गया। विप्रार्थी गिण का कजुड तामिल प्रतुण। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडप्लीकेशन सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी के अपने घातेदारी घेतो के चारों मोर पन्डे नेपम तामील करवाना काबरेण्डु हो बसलिए प्रार्थी का नेपमवनी कावेदन स्वीअर विभा जाडर नेपमवनी कावेदन विभा जावे। मतः प्रार्थी का नेपमवनी कावेदन स्वीअर विभा जाडर तामीलगाए वाफतु के इमिशनर निरुपस्त विभा जाला हो व कावेदन विभा जाला हो वि प्राय स्वम प्रा अपने अधिवक्ता विनी भी भू. समिलेय निरुपस्त से प्रार्थी के घातेदारी घेतो की पन्डी नेपमवनी मोडे पर खुलुड जमाडाडर डेटे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर तामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल खुदा हो, दर्ज नम्बर से इस हो दाखिल दस्तार हो।</p>	

(Handwritten signature and stamp)

क्रमांक / वाद / 2018 /
प्रार्थीगण

86

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक - 14.2.18

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भगवानाराम पुत्र लाभूराम जाति
जाट निवासी बाटाडू तह.
बायतु जिला बाडमेर

1. विशनाराम पुत्र राजूराम वगैरा 4
जाति जाट निवासी बाटाडू, तह
बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 44/18

आदेश


मौजा बाटाडू पटवार हल्का बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1790/1538 रकबा 24.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु/गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




क्रमांक / वाद / 2018 / 87-91

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री भगवानाराम पुत्र लाभूराम।
4. विप्रार्थीगण श्री विशनाराम पुत्र राजूराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु/गिड़ा।


(हिताराम चौहान) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक - 14.2.18


उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु